

मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना-800014

ईमेल- ce.pmg-bih@gov.in

दूरभाष-0612-2215035

संचिका सं०:-ल०ज०सं०(पी०एम०जी०)- डिबार-428/2026- 119 /पटना, दिनांक:- 14/09/2026

आदेश

लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी अंतर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं०-01/2023-24 के तहत संवेदक श्री अजय यादव, पिता-श्री हीरा लाल यादव, ग्राम-मोहबत छपरा, पो०-सोबिया, थाना-तुरकौलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन कोड-845437 को आवंटित रामगढ़वा पश्चिमी उद्भवह सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित तिथि-27.03.2024 थी। निर्धारित तिथि की समाप्ति एवं कार्य पूर्ण करने हेतु कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी द्वारा कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से निदेशित किये जाने के बावजूद कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मोतिहारी के पत्रांक-1206 दिनांक-04.06.2026 एवं अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-523 दिनांक-09.06.2026 द्वारा संवेदक को कालीकृत करने हेतु भेजे गये प्रस्ताव के क्रम में मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-975 दिनांक-11.06.2026 द्वारा श्री अजय यादव को कालीकृत करने हेतु विहित प्रपत्र में सूचना सहित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-962 दिनांक-15.06.2026 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी है, जिसका जबाव अप्राप्त रहने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-1305 दिनांक-11.08.2026 द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया, परंतु संवेदक का जबाव अबतक अप्राप्त है। जिससे स्पष्ट है कि अपने पत्र में कहने के लिये संवेदक के पास कुछ भी नहीं है। लघु जल संसाधन विभाग के पोर्टल के अनुसार वर्तमान में उक्त योजना का भौतिक प्रगति प्रतिवेदन मात्र 60 प्रतिशत है।

अतः वर्णित योजना का कार्य एकरारनामा के अनुसार पूर्ण करने हेतु बार-बार निदेशित किये जाने एवं निर्धारित तिथि की समाप्ति के बावजूद भी संवेदक द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण सम्यक समीक्षोपरांत संवेदक श्री अजय यादव, पिता-श्री हीरा लाल यादव, ग्राम-मोहबत छपरा, पो०-सोबिया, थाना-तुरकौलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण, पिन कोड-845437 (निबंधन सं०-MWRD1119C3IN1356 श्रेणी-III) को बिहार टीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम 11 (क) की उप कंडिका (ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह०/-
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक—

/पटना, दिनांक—

प्रतिलिपि— श्री अजय यादव, पिता—श्री हीरा लाल यादव, ग्राम—मोहबत छपरा,
पो०—सोबिया, थाना—तुरकौलिया, जिला—पूर्वी चम्पारण, पिन कोड—845437 (निबंधन सं०—
MWRD1119C3IN1356 श्रेणी—III) मो० न०—9162584709, ईमेल—ajayyadav141993
@gmail.com को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/—

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),

लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक—

1564

/पटना, दिनांक— 14/09/2026

प्रतिलिपि— अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण
विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण
विभाग/योजना एवं विकास विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल
निर्माण निगम, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल
संसाधन विभाग,/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल,/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु
सिंचाई प्रमंडल,एवं आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि
उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य अभियंता

(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भी),

लघु जल संसाधन विभाग, पटना